No. 1136

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संस्था 199

वर्ष 1988/1989

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि [illegible] सेवा संस्थान, पटना

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख दस मास अगस्त वर्ष उन्नीस सौ अठासी को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

Assistant Inspector General of Registration Bihar, Patna

10.8.88

For I. G. Registration Bihar, Patna

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना

बि०स०मु० (निबन्धन) 1—II—10,000—29-5-1986—के० लाल

Secretary
Jayprakash Residential School

बुद्ध शिक्षा सेवा संस्थान, पटना, बिहार
की नियमावली

1. परिभाषा:-

क. संस्था से अभिप्राय है बुद्ध शिक्षा सेवा संस्थान, पटना, बिहार ।

ख. समिति से अभिप्राय है कार्यकारिणी समिति ।

ग. पदाधिकारी से अभिप्राय है अध्यक्ष एवं सचिव ।

घ. वर्ष से अभिप्राय है 1ली जनवरी से 31 दिसम्बर तक ।

ङ. ऐक्ट से अभिप्राय है सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860

2. सदस्यता:-

कोई भी शिक्षित व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करते हों वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता हेतु विधि प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति का कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायगी प्रत्येक सदस्य को 5 रुपया प्रवेश शुल्क एवं 5 रुपया मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

3. सदस्यता से निमुक्ति:-

निम्नलिखित दशाओं में किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायगी । या

क, स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख. पागल या मृत्यु होने पर ।

ग, समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किये जाने पर ।

घ. संस्था के उद्देश्य एवं नियम के विरुद्ध आचरण करने पर ।

ङ, न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

च. बिना कारण बताए समिति की तीन लगातार बैठक में अनुपस्थित रहने पर ।

नोट:- समिति द्वारा अलग किये जाने वाले सदस्यों को अपने आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायगा।

4. कार्य प्रबंधकारिणी समिति का गठन:-

क. समिति सात सदस्यों की होगी जिनमें दो पदाधिकारी एवं पांच सदस्य
ख. समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव संस्था की वार्षिक बैठ
में किया जायगा ।
ग. समिति का कार्यकाल तीन वर्षों की होगी । निवृत्ति सदस्य पुनः चुने
सकते हैं ।
घ. अगर किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो समिति किसी
अन्य सदस्य को शेष अवधि के लिए मनोनीत कर सकती है । किन्तु आम
बैठक में उसका विधिवत चुनाव करा लेना होगा ।

5. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

क. सदस्यता के आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना ।
ख. बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ।
ग. संस्था की चल या अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होना ।
घ. उप समिति का गठन करना ।
ङ. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो कार्य आवश्यक एवं हितकर प्रतीत
उसपर विचार करना एवं उसे कार्यान्वित करना ।

6. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

अध्यक्ष

क. बैठकों का सभापतित्व करना ।
ख. समान मत की व्यवस्था में अपने निर्णायक मत द्वारा निर्णय करना ।
ग. कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना ।

सचिव

क. बैठकों का आयोजन करना ।
ख. संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
ग. संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण करने पर सदस्यों से स्पष्टी-
-करण मांगना ।
घ. वार्षिक प्रतिवेदन आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।
ङ. आय व्यय बजट आम सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना ।
च. संस्था के आय व्यय का हिसाब रखना ।
छ. संस्था के राशि प्राप्त कर रसीद देना ।

Secretary
St. Gandhi Residential School
PATNA-23

ज. आय व्यय प्रस्तुत अद्यतन रखना तथा अंकेक्षण कराना ।

झ. संस्था की राशि संस्था के नाम पर बैंक या डाकघर में रखी जायगी और आवश्यकतानुसार उसकी निकासी अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायगी ।

7. आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

क. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना ।

ख. आय व्यय (बजट) का अनुमोदन करना।

ग. अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

घ, उप नियमों का निर्माण करना तथा संशोधन करना।

ङ. अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार करना ।

बैठक

क. समिति की बैठक या आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलायी जा सकती है किन्तु वर्ष में चार बार से कम नहीं होगी ।

ख, आवश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

ग. समिति की बैठक की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व दी जायगी ।

घ, आम सभा एवं असाधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी । विशेष आम सभा की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायगी ।

प्राथमिक बैठक:-

क. समिति के तीन सदस्य एवं आम सभा के एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर सचिव को आवश्यक बैठक का आयोजन करना होगा । आवेदन पत्र में विषय का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए । अगर सचिव आवेदन पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर समिति की आवश्यक बैठक एवं आम सभा की असाधारण बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि उक्त अवधि के उपरान्त आवेदन में लिखित विषय के निर्णय हेतु बैठक का आयोजन कर सकते हैं जिसकी सूचना विधिवत सभी सदस्यों को देनी होगी ।

8. कोरम:-

एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का गणपूर्ति होगी ।

9. सूचना:-

बैठक की सूचना डाक या पंजी द्वारा दी जायेगी ।

10. निधि का अंकेक्षण:-

संस्था के आय-व्यय का लिखित लेखा समुचित राय से रखा जायेगा और आ-

Secretary
St. [illegible] Residential School
PATNA-23

सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रति वर्ष अंकेक्षित कराया जायगा ।

11. पंजी का निरीक्षण:-

संस्था की सभी पंजियां निबंधित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

12. आय का स्रोत:-

क. सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क
ख. सरकारी अनुदान एवं ऋण
ग. विशेष शुल्क एवं चन्दा

13. नियमावली में संशोधन:-

संस्था के नियमों में संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किया जायगा ।

विघटन:-

क. किसी कारणवश संस्था को अगर विघटन करना पड़े तो आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

ख. विघटन के पश्चात संस्था की सारी चल या अचल सम्पत्ति सदस्यों या गैर सदस्यों में नहीं वितरित की जायगी बल्कि किसी समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायगी । यह निर्णय आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से की जायगी ।

14. अन्यान्य:-

संस्था का अन्य कार्य जिसके संबंध में नियमावली में उपबंध नहीं हो पाया है। वह सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के प्रावधान के अनुसार किये जायेगें ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है ।

1. जयनन्दन शर्मा अध्यक्ष
2. विजय कुमार सिंह सचिव
3. उदय नारायण सदस्य

==

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है ।

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार ।

Secretary
...ghi Residential School
PATNA-23

पत्र संख्या 9 / 0714 / ....

प्रेषक,

श्री हेमचन्द्र झा
सहायक निबन्धन महानिरीक्षक,
निबन्धन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवामें,

श्री विजय कुमार सिंह, सचिव,
बुद्धिजीवी सेवा संस्थान पटना
संत गाँधी आवासीय विद्यालय,
पटना- 23

पटना, दिनांक 20/8/88 1988

विषय:- संस्था के स्मृति-पत्र/नियमावली/आम सभा/का प्रस्ताव/निबन्धन का प्रमाण-पत्र के अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 21/87 दिनांक 11. 8. 88 के सन्दर्भ में संस्था का स्मृति पत्र / नियमावली / आम सभा का प्रस्ताव / निबन्धन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भेजा जा रहा है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,

20/8/88

झा
सहायक निबन्धन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।